A052-20222023-002-1651464

संख्या-02/2023/H.S-04/52-4-2023-बजट(14)/2017

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव/कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग- 4 **लखनऊ : दिनांक 27/01/2023**

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ०प्र० राज्य हज समिति को 20-सहायता अनुदान-सामान्य-(गैर वेतन) की अवधि के लिए वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-।।/2642/एस०एच०सी०/2022, दिनांक 13.12.2022, शासन के पत्र संख्या-A052-20222023-002-E-1347332/एच०एस०-17/52-4-2021-बजट(14)/2017, दिनांक 21.04.2022 एवं शासन के पत्र संख्या-ए०52-20222023-001-1651464-ई-1651464 दिनांक 07.10.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दी गयी व्यवस्थानुसार उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ के पक्ष में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक-2250-800-03-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 100.00 लाख के सापेक्ष रू० 33.34 **लाख (रू० तैंतीस लाख चौंतीस हजार मात्र)** स्वीकृत करते हुए निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र०	मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	100.00	33.34
	कुल	**100.00**	**33.34**

(1) धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है । अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं " पर व्यय के लिए नहीं किया जायेगा।

(3) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जायेगा तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी०एम०-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ, वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(8) सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

(9) उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त से विचलन की स्थिति वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए सचिव/कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ तथा वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

3- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-48 के लेखाशीर्षक 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-प्रान्तीय हज समिति को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-ई-410-4-दस-2022-231/2022, दिनांक 20, जनवरी, 2023 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

शकील अहमद सिद्दीकी
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या -H.S.-04(01)/2023/370/52-4-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकर, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ ।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- नोडल अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

शकील अहमद सिद्दीकी
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।